Vol II Issue IV Oct 2012

Impact Factor : 0.1870

ISSN No :2231-5063

Monthly Multidiciplinary Research Journal

Golden Research Thoughts

Chief Editor
Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher
Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi

Associate Editor
Dr.Rajani Dalvi

Honorary
Mr.Ashok Yakkaldevi

IMPACT FACTOR : 0.2105

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2230-7850**

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial Board readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

International Advisory Board

Flávio de São Pedro Filho
Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera
Regional Centre For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya [Malaysia]

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus Pop

Mohammad Hailat
Dept. of Mathmatical Sciences, University of South Carolina Aiken, Aiken SC 29801

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Catalina Neculai
University of Coventry, UK

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Postdoctoral Researcher

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Department of Chemistry, Lahore University of Management Sciences [PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Horia Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

Nawab Ali Khan
College of Business Administration

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University, Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University, Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary, Play India Play (Trust),Meerut

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU, Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Ph.D , Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.net

Golden Research Thoughts
Volume 2, Issue. 4, Oct 2012
ISSN:-2231-5063

Available on all social networks
citeulike

ORIGINAL ARTICLE

GRT

इन्दौर जिले में दलित उत्पीड़न के प्रकारों का अध्ययन

सुनील धावने , राजेन्द्र जैन

फिल्ड टेकनिशियन, डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर संस्थान, डॉ. आम्बेडकर नगर (महू)
सहायक प्राध्यापक, प.म.ब. गुजराती कला एवं विधि महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

सारांश :

स्वतन्त्रता की आधी सदी से अधिक बीत जाने के पश्चात् भी अनुसूचित जाति वर्ग इतना पीड़ित है कि वह अंग्रेज शासन काल की समाज व्यवस्था को अच्छा मानता है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में करीब 22 करोड़ अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। परन्तु, सैकड़ों कानूनों, आर्थिक विकास योजनाओं के चलते यह समाज बदहाली से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अनुसूचित जाति वर्ग प्रत्येक क्षेत्र में उपेक्षित रहा है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक और औद्योगिक क्षेत्र में अपेक्षा के अनुरूप इनको न्याय नहीं मिल पाया है।

प्रस्तावना

वर्तमान में देश के बदलते राजनैतिक समीकरणों के साथ अगर एक तरफ अल्पसंख्यकों पर हमलों में वृद्धि हुई है तो दूसरी तरफ अनुसूचित जाति पर अत्याचारों में भी वृद्धि हुई है।

भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक धर्म, सम्प्रदाय, प्रजाति के लोग निवास करते हैं। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1027015 हजार जिसमें स्त्रीयों की जनसंख्या 495738 हजार एवं पुरूषों की जनसंख्या 531277 हजार है। भारत की कुल जनंसख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 16.25 है। भारत के मध्य में स्थित मध्यप्रदेश जिसकी सन् 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 60385 हजार, जिसमें पुरूषों की जनसंख्या 31457 हजार एवं महिलाओं की जनसंख्या 28928 हजार है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 15.17 है। मध्य प्रदेश के मालवा में स्थित इन्दौर जिला जिसकी कुल जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 2,465,827 है जिसमें पुरूषों की जनसंख्या 12,89,352 एवं महिलाओं की जनसंख्या 1,176,475 है इसमें अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 388,459 है। जिसमे पुरूषो की 200,344 एवं महिलाओं की जनसंख्या 188,115 है। 0 से 6 वर्ष आयु समूह की कुल जनसंख्या 369,546 है । जिसमे पुरूषो की जनसंख्या 193,653 एवं महिलाओं की जनसंख्या 175,893 है ।

''अत्याचार'' शब्द की किसी भी कानून में परिभाषा नहीं की गई है। अतः सरकार अनुसूचित जाति के विरूद्ध अपराध पद का प्रयोग करती रही है और कर रही है। अनुसूचित जाति अत्याचार से यहाँ आशय सभी प्रकार के अन्याय, शोषण, पीड़ा व त्रास से है, जो समाज के उच्चवर्गीय, साधन सम्पन्न व राजनैतिक व्यक्ति के इशारों पर निम्न व कमजोर वर्गों जो अपनी रक्षा करने में असमर्थ होते है उन पर ढाये जाते हैं। इसमें निन्दा, गाली, धमकी, सामाजिक बहिष्कार से लेकर बेगार करना, सम्पत्ति से बेदखल करना, शासन द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा न देना तथा शारीरिक क्षति पहुँचाना जिसमें मारना, पीटना, हत्या, बलात्कार, अस्पृश्यता आगजनी एवं सम्पत्ति नष्ट करना आदि शामिल है।

भारत सरकार गृह मंत्रालय ने सन् 1974 से ऐसे अपराधों के आँकड़ें एकत्र करना आरंभ किया और बताया कि अनुसूचित जाति पर हो रहे अत्याचारों को चार श्रेणी में बाँटा गया है – हत्या, गंभीर चोट, आगजनी और बलात्कार। इसके बाद इन आँकड़ों के संकलन में भारतीय दण्ड संहिता के ऐसे सभी अपराध सम्मिलित हुए जिनमें अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के व्यक्ति पीड़ित हुए।

शोध प्रविधी

किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिये पूर्व से ही इसकी विधीवत रूप रेखा तैयार की जाती है । जिसमें अनुसंधान समस्या का चयन एवं सूची करण, अध्ययन का निरूपण, अध्ययन की ईकाई, समग्र का निर्धारण, तथ्यों का संकलन, अध्ययन की सीमा, अध्ययन में आने वाली कठनाईयों को शामिल किया गया है । इसके अन्तर्गत वैज्ञानिक पद्धति द्वारा तैथ्यों का विश्लेषण किया गया है। जिसमें इन्दौर जिले के अनुसूचित जाति, जनजाति विशेष पुलिस थाने में सन् 2001 से 2008 तक कुल 1102 प्रकरण अनुसूचित जाति के विरूद्ध दर्ज हुये उसमें से सन् 2001 से 2005 तक के कुल 742 प्रकरणों में से 200 प्रकरणों का चयन देव निर्देशन पद्धति की लाटरी विधि द्वारा चयन कर अध्ययन किया गया ।

अध्ययन के उद्देश्य :–

उत्पीड़ित व्यक्ति की सामाजिक,आर्थिक, सांस्कृतिक स्थिति का विश्लेषण। अत्याचारों के प्रकार एवं प्रकृति का अध्ययन, अत्याचारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, एवं पूर्व तथा पश्चात की स्थिति का आकलन, उत्पीड़ितों के साथ प्रशासन, कानून की भूमिका एवं अन्य कार्य प्रणालीयों, उत्पीड़ितों के पुनर्वास एवं राहत कार्यों की विवेचना करना ।

सभी मानव समाजो एवं मानव समूहो में अपने आप को एक दूसरे से पृथक रखने की प्रकृति पाई जाती है। इसी से हर समाज, समूह

Please cite this Article as : *मोरे राहुल नानासाहेब , ''किडा क्षेत्रात पंचगिरीचे महत्व व तत्वे एक अभ्यास''* **: Golden Research Thoughts (Oct. ; 2012)**

के चारो ओर एक काल्पनिक रेखा खीचीं जाती है, जिससे हर समाज समूह की एक अलग पहचान बनती है। समाज समूह का एक नाम, स्थान क्षेत्र होता है, जिसमें उसी समुदाय के लोग रहते है जो उनके प्रजातिय एवं भाषायी लक्षण तथा प्रथाये, विश्वास आदि उस समाज समूह की पहचान के महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं इससे उनकी अलग पहचान बन जाती हैं।

पृथ्वी पर पाये जाने वाले सभी मानव समाजो में परिवार एक मूलभूत व मुख्य इकाई है। परिवार के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण बात विषम लिंगियों (स्त्री पुरूष) का आपस में विवाह करना उसके पश्चात सन्तान उत्पन्न करना और फिर बढना उसके बाद छिन्न–भिन्न होना सदीयों से पीढ़ी दर पीढी चलता आ रहा है। जो आज तक कायम है। यह अनवरन चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक समाज का अपना एक अलग संगठन होता है। इन सामाजिक संगठनो में कुछ सामान्य कारक होते है, जो एक दूसरे को एक सूत्र में बांधे रखते है। परिवार, वंश, समूह, विवाह, धर्म तथा कानून आदि समितियो तथा संस्थाओ का योग ही सामाजिक जीवन का आधार है। कोई भी समूह या उसका व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताओं एवं जीवन–यापन के लिए मजदूरी, खेती, नौकरी, व्यवसाय या अन्य कार्यो के साधनो की पूर्ति करना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय जनजीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और आज भी हो रहे है। आज निम्न आय वर्ग का व्यक्ति भी अपने बच्चो की अच्छी से अच्छी शिक्षा के लिए प्रयासरत है। वही अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति निरंतर तरक्की कर रहा है। आज इस वर्ग का व्यक्ति आय.ए.एस., आय.पी.एस. शासकीय सेवाओ में कार्यरत है, राजनीति, व्यवसाय और औद्योगिक क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, जो कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए गर्व है ।

किसी भी अनुसंधान कार्य में उत्तरदाताओं की सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस अध्याय में उत्पीड़ित उत्तरदाताओं की सामाजिक, आर्थिक, एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि का विवरण दिया गया है। आयु का सामाजिक स्तरीकरण के आधार के रूप में सभी समाजो में महत्व रहा है। आयु के आधार पर ही हम किसी भी व्यक्ति को बाल्य, युवा, प्रौढ़ व वृद्ध कहते है। आयु में जैसे–जैसे वृद्धि होती है, वैसे–वैसे व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यवहार, शरीर, एवं आकांक्षाओ में परिवर्तन होता है।

आयु के आधार पर उत्पीड़न के प्रकारों का विवरण

आयु	हत्या	गम्भीर चोट /हत्या का प्रयास	सामान्य चोट	आगजनी	फसल को नुकसान पहुँचना	अपहरण	बलात्कार	मानसिक प्रताड़ना	छेड़छाड / शीलभंग	जमीन / मकान पर कब्जा	योग / प्रतिशत
0-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
15-30	4	20	25	1	-	3	6	5	7	22	**93**
	2.0%	10.0%	12.5%	.5%		1.5%	3.0%	2.5%	3.5%	11.0%	**46.5 %**
31-45	2	13	28		2	1	3	9	4	7	**69**
	1.0%	6.5%	14.0%		1.0%	.5%	1.5%	4.5%	2.0%	3.5%	**34.5 %**
46-60	1	7	11	2	2	-	-	3	-	3	**29**
	.5%	3.5%	5.5%	1.0%	1.0%			1.5%		1.5%	**14.5 %**
61 से अधिक	-	2	3		-	-	-	2	-	2	**9**
		1.0%	1.5%					1.0%		1.0%	**4.5%**
कुल योग	**7**	**42**	**67**	**3**	**4**	**4**	**9**	**19**	**11**	**34**	**200**
प्रतिशत	**3.5%**	**21.0 %**	**33.5 %**	**1.5%**	**2.0%**	**2.0%**	**4.5%**	**9.5%**	**5.5%**	**17.0 %**	**100.0 %**

तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 14 वर्ष से कम आयु वर्ग पर अत्याचार नही हुआ। जबकि 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के साथ 46.5 प्रतिशत, 31 से 45 वर्ष आयु वर्ग के साथ 24.5 प्रतिशत, 46 से 60 आयु वर्ग के साथ 14.5 प्रतिशत, 61 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के साथ 4.5 प्रतिशत के साथ अत्याचार उत्पीड़न हुआ है। अध्ययन से पता चलता है, कि सर्वाधिक अत्याचार उत्पीड़न 15 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के महिला पुरूषों के साथ हुआ है। कहा जा सकता है कि सर्वाधिक अत्याचार/उत्पीड़न 15 से 30 वर्श की आयु वर्ग के महिला/पुरूषों के साथ हुआ है ।

DSpace™

व्यवसाय के आधार पर उत्पीड़न के प्रकरणों का विवरण

उत्पीड़न/अत्याचार का प्रकार	खेती मजदूरी	रोजनदारी	औद्योगिक कामगार	खेती	व्यवसाय	शास. नौकरी	अ.शा. नौकरी	कुल/ प्रतिशत
हत्या	1	1	-	2	1	2	-	**7**
	0.5%	0.5%	-	1.0%	0.5%	1.0%	-	**3.5%**
गम्भीर चोट/हत्या का प्रयास	13	10	4	9	3	3	-	**42**
	6.5%	5.0%	2.0%	4.5%	1.5%	1.5%	-	**21.0%**
सामान्य चोट	23	17	2	13	4	5	3	**67**
	11.5%	8.5%	1.0%	6.5%	2.0%	2.5%	1.5%	**33.5%**
आगजनी	-	1	-	1	1	-	-	**3**
	-	0.5%	-	0.5%	0.5%	-	-	**1.5%**
फसल को नुकसान पहुँचाना	1	-	-	3	-	-	-	**4**
	0.5%	-	-	1.5%	-	-	-	**2.0%**
अपहरण	1	-	1	1	-	1	-	**4**
	0.5%	-	0.5%	0.5%	-	0.5%	-	**2.0%**
बलात्कार	3	3	2	1	-	-	-	**9**
	1.5%	1.5%	1.0%	0.5%	-	-	-	**4.5%**
मानसिक प्रताड़ना	4	3	1	6	2	2	1	**19**
	2.0%	1.5%	0.5%	3.0%	1.0%	1.0%	0.5%	**9.5%**
छेड़छाड़/शीलभंग	4	2	-	3	-	2	-	**11**
	2.0%	1.0%	-	1.5%	-	1.0%	-	**5.5**%
जमीन/मकान पर कब्जा	9	6	4	9	3	1	2	**34**
	4.5%	3.0%	2.0%	4.5%	1.5%	0.5%	1.0%	**17.0%**
कुल योग	**59**	**43**	**14**	**48**	**14**	**16**	**6**	**200**
कुल प्रतिशत	**29.5%**	**21.5%**	**7.0%**	**24.0%**	**7.0%**	**8.0%**	**3.0%**	**100.0%**

तालिका के अध्ययन से पता चलता है, कि 3.5 प्रतिशत उत्पीड़ितों की हत्या की गई, जिसमें 0.5 प्रतिशत खेती मजदुरी, 0.5 प्रतिशत रोजनदारी, 1.0 प्रतिशत खेती, 0.5 प्रतिशत व्यवसायी, 1.0 प्रतिशत शासकीय नौकरी करने वाले थे। 21.0 प्रतिशत उत्पीड़ितों को गम्भीर चोट या हत्या का प्रयास किया गया, जिसमें 6.5 प्रतिशत खेती मजदूरी, 5.0 प्रतिशत रोजनदारी, 2.0 प्रतिशत औद्योगिक कामगार 4.5 प्रतिशत खेती, 1.5 व्यवसायी, 1.5 प्रतिशत शासकीय नौकरी करने वाले है। 33.5 प्रतिशत उत्पीड़ितों को मान्य चोटे आई, जिसमें 11.5 प्रतिशत खेती मजदूरी, 8.5 प्रतिशत रोजनदारी, 1.0 प्रतिशत औद्योगिक कामगार, 6.5 प्रतिशत खेती, 2.0 प्रतिशत व्यवसायी, 2.5 प्रतिशत शासकीय सेवा, 1.5 प्रतिशत अशासकीय नौकरी में कार्यरत है। 1.5 प्रतिशत उत्पीड़ितों के साथ आगजनी की घटना हुई जिसमें 0.5 प्रतिशत रोजनदारी एवं 0.5 प्रतिशत खेती, 0.5 प्रतिशत व्यवसाय करने वाले है। 2.0 प्रतिशत उत्पीड़ितों की फसलो को नुकसान पहुँचाया गया जिसमें 0.5 प्रतिशत मजदूरी एवं 1.5 प्रतिशत खेती करने वाले है। 2.0 प्रतिशत उत्पीड़ितो के साथ अपहरण की घटना घटित हुई, जिसमें 0.5 प्रतिशत खेती मजदूरी, 0.5 प्रतिशत औद्योगिक कामगार,, 0.5 प्रतिशत खेती, 0.5 प्रतिशत शासकीय सेवा में कार्यरत है। महिलाओं के साथ 4.5 प्रतिशत बलात्कार की घटना हुई जिसमें 1.5 प्रतिशत महिला खेती मजदूरी, 1.5 प्रतिशत रोजनदारी, 1.0 प्रतिशत औद्यौगिक कामगार महिला एवं 0.5 प्रतिशत खेती कार्य में संलग्न है। 9.5 प्रतिशत उत्पीड़ितों के साथ मानसिक प्रताड़ना की घटना हुई, जिसमें 2.0 प्रतिशत खेती मजदूरी, 1.5 प्रतिशत रोजनदारी, 0.5 प्रतिशत औद्योगिक कामगार, 3.0 प्रतिशत खेती, 1.0 प्रतिशत व्यवसाय, 1.0 प्रतिशत शासकीय सेवा, 0.5 प्रतिशत अशासकीय नौकरी में कार्यरत है। महिलाओं के साथ 5.5 प्रतिशत छेड़छाड़ की घटना घटित हुई, जिसमें 2.0 प्रतिशत खेती मजदूरी, 1.0 प्रतिशत रोजनदारी, 1.5 प्रतिशत खेती एवं 1.0 प्रतिशत महिलाएँ शासकीय सेवा में कार्यरत है। 17 प्रतिशत उत्पीड़ितों को शासन द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा या मकान पर कब्जा करने की घटना घटित हुई, जिसमें 4.5 प्रतिशत खेती मजदूरी, 3.0 प्रतिशत रोजनदारी, 2.0 प्रतिशत औद्योगिक कामगार, 4.5 प्रतिशत खेती, 1.5 प्रतिशत व्यवसाय, 0.5 प्रतिशत शासकीय सेवा, 1.0 अशासकीय नौकरी में कार्यरत है। इस अध्ययन से स्पष्ट होता है, कि अधिकांश उत्पीड़ितों के साथ सामान्य चोट पहुंचाने की घटना घटित हुई उन्हे अपराधियों द्वारा चोट पहुँचाई गई। कहा जा सकता है कि उत्पीड़ितों के साथ मारपीट की घटना अधिक घटित हुई ।

DSpace™

शैक्षणिक स्थिति के आधार पर उत्पीड़न के प्रकरणों का विवरण

उत्पीड़न / अत्याचार का प्रकार	अशिक्षित	साक्षर	प्राथमिक	माध्यमिक	हाईस्कूल	हायर सेकण्डरी	स्नातक	स्नातकोत्तर	अन्य	कुल / प्रतिशत
हत्या	2	-	2	1	1	1	-	-	-	7
	1.0%	-	1.0%	0.5%	0.5%	0.5%	-	-	-	3.5%
गम्भीर चोट / हत्या का प्रयास	15	2	-	6	4	5	3	4	-	42
	6.5%	1.0 %	-	3.0%	2.0%	2.5%	1.5%	2.0%	-	21.0%
सामान्य चोट	26	1	8	10	4	6	3	1	-	67
	13.0%	0.5 %	4.0%	5.0%	2.0%	3.0%	1.5%	0.5%	-	33.5%
आगजनी	2	-	-	-	-	-	1	-	-	3
	1.0%	-	-	-	-	-	0.5%	-	-	1.5%
फसल को नुकसान पहुँचाना	3	-	-	-	1	-	-	-	-	4
	1.5%	-	-	-	0.5%	-	-	-	-	2.0%
अपहरण		-	1	2	-	-	-	1	-	4
	0.5%	-	0.5%	1.0%	-	-	-	0.5%	-	2.0%
बलात्कार	6	1	1	1	-	-	-	-	-	9
	3.0%	0.5 %	0.5%	0.5%	-	-	-	-	-	4.5%
मानसिक प्रताड़ना	8	1	2	-	1	1	1	1	3	19
	4.0%	0.5 %	1.0%	-	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	1.5 %	9.5%
छेड़छाड़ / शीलभंग	7	-	2	-	-	2	-	-	-	11
	3.5%	-	1.0%	-	-	1.0%	-	-	-	5.5%
जमीन / मकान पर कब्जा	19	05	11	4	3	1	4	-	-	34
	9.5%	2.5 %	3.5%	2.0%	1.5%	0.5%	2.0%	-	-	17.0%
कुल योग	**88**	**05**	**27**	**24**	**20**	**14**	**12**	**07**	**03**	**200**
	44.0%	**2.5 %**	**13.5%**	**12.0%**	**10.0%**	**7.0%**	**6.0**	**3.5**	**1.5**	**100%**

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 3.5 प्रतिशत हत्या के प्रकरणो में 1.0 प्रतिशत अशिक्षित, 1.0 प्रतिशत प्राथमिक, 0.5 प्रतिशत माध्यमिक, 0.5 प्रतिशत हाईस्कूल, 0.5 प्रतिशत हायर सेकण्डरी तक शिक्षा प्राप्त है । 21.0 प्रतिशत गम्भीर चोट / हत्या के प्रयास के प्रकरणों में 7.5 प्रतिशत अशिक्षित उत्पीड़ित उत्तरदाता, जबकि 1.0 प्रतिशत साक्षर, 3.0 प्रतिशत माध्यमिक, 3.5 प्रतिशत हाईस्कूल, 2.5 प्रतिशत हायर सेकेण्डरी 1.5 प्रतिशत स्नातक एवं 2.0 प्रतिशत स्नातकोत्तर, 33.5 प्रतिशत सामान्य चोटों के प्रकरणों में 13.0 प्रतिशत अशिक्षित 0.5 प्रतिशत साक्षर, 4.0 प्रतिशत प्राथमिक, 5.0 प्रतिशत माध्यमिक, 6.0 प्रतिशत हाईस्कूल, 3.0 प्रतिशत हायर सेकण्डरी, 1.5 प्रतिशत स्नातक, 0.5 प्रतिशत स्नातकोत्तर, 3.0 प्रतिशत आगजनी के प्रकरणों में 1.0 प्रतिशत अशिक्षित एवं 0.5 प्रतिशत स्नातक, 2.0 प्रतिशत फसलों को नुकसान पहुँचाना या नश्ट करने के प्रकरणों में 1.5 प्रतिशत अशिक्षित, 0.5 प्रतिशत हाईस्कूल, 2.0 प्रतिशत अपहरण के प्रकरणों में 0.5 प्रतिशत प्राथमिक, 1.0 प्रतिशत माध्यमिक, 0.5 प्रतिशत स्नातकोत्तर, महिलाओं के साथ बलात्कार के 4.5 प्रतिशत प्रकरणों में 3.0 प्रतिशत अशिक्षित, 0.5 प्रतिशत साक्षर, 0.5 प्रतिशत प्राथमिक, 0.5 प्रतिशत माध्यमिक, 9.5 प्रतिशत मानसिक प्रताड़ना (शारीरिक एवं दिमागी) प्रकरणो में 4 प्रतिशत अशिक्षित, 0.5 प्रतिशत साक्षर, 1.0 प्रतिशत प्राथमिक, 1.0 प्रतिशत हाईस्कूल, 0.5 प्रतिशत हायर सेकण्डरी, 0.5 प्रतिशत स्नातक, 0.5 प्रतिशत स्नातकोत्तर एवं 1.5 प्रतिशत अन्य, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के 5.5 प्रतिशत प्रकरणों में 3.5 प्रतिशत अशिक्षित, 1.0 प्रतिशत प्राथमिक, 2.0 प्रतिशत हाईस्कूल, और जमीन / मकान पर कब्जा करने के 17.0 प्रतिशत प्रकरणो में 9.5 प्रतिशत अशिक्षित, 2.5 साक्षर, 4.5 प्रतिशत प्राथमिक, 2.0 प्रतिशत माध्यमिक, 1.5 प्रतिशत हाईस्कूल एवं 2.0 प्रतिशत स्नातक तक शिक्षा प्राप्त उत्पीड़ित उत्तरदाता है। उपरोक्त तालिका क्र. 3.17 के अध्ययन से स्पष्ट होता है, कि सर्वाधिक अत्याचार उत्पीड़न 44 प्रतिशत अशिक्षितों, 2.5 प्रतिशत साक्षर, 13.5 प्रतिशत प्राथमिक, 12.0 प्रतिशत माध्यमिक, 10.0 प्रतिशत हाईस्कूल, 7.0 प्रतिशत हायर सेकण्डरी, 6.0 प्रतिशत स्नातक, 3.5 प्रतिशत स्नातकोत्तर एवं 1.5 प्रतिशत अन्य शिक्षा प्राप्त उत्पीड़ित उत्तरदाता है। कहा जा सकता है, अधिकांश अत्याचार उत्पीड़न अशिक्षितो के साथ हुआ है। जो कि अत्याचार का मुख्य कारण

अध्ययन द्वारा सामने आया है।

वैवाहिक स्थिति के आधार पर उत्पीड़न/अत्याचार के प्रकरणों का विवरण

उत्पीडन/अत्याचार का प्रकार	विवाहित	अविवाहित	विधुर/विधवा	तलाकशुदा	अन्य	कुल योग (%)
हत्या	5	2	-	-	-	**(7) 3.5%**
गम्भीर चोट/हत्या का प्रयास	33	6	2	-	1	**(42) 21.0%**
सामान्य चोट	59	4	3	1	-	**(67) 33.5%**
आगजनी	3	-	-	-	-	**(3) 1.5%**
फसल को नुकसान पहुॅचाना	3	-	1	-	-	**(4) 2.0%**
अपहरण	2	2	-	-	-	**(4) 2.0%**
बलात्कार	6	3	-	-	-	**(9) 4.5%**
मानसिक प्रताड़ना	10	5	4	-	-	**(19) 9.5%**
छेड़छाड़/शीलभंग	6	3	2	-	-	**(11) 5.5%**
जमीन/मकान पर कब्जा	26	8	-	-	-	**(34) 17.0%**
कुल योग	**162**	**26**	**10**	**1**	**1**	**(200) 100%**
प्रतिशत	**81%**	**13%**	**5.0%**	**0.5%**	**0.5%**	**100%**

तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है, कि कुल 7 व्यक्तियों की हत्या हुई जिसमें 5 विवाहित एवं 2 अविवाहित थे। गम्भीर चोट के 42 प्रकरणों में 33 विवाहित, 6 अविवाहित, 2 विधुर विधवा, एवं 1 अन्य है। सामान्य चोट के 67 प्रकरणों मे 59 विवाहित, 4 अविवाहित, विधुर/विधवा 3, तलाकशुदा 1 है। आगजनी के प्रकरणों में 3 उत्पीड़ित विवाहित है। 4 प्रकरण फसलों को नुकसान पहुॅचाना जिसमें 3 विवाहित एवं 1 विधुर / विधवा उत्पीड़ित है। अपहरण के 4 प्रकरणों में 2 विवाहित एवं 2 अविवाहित, महिलाओं के साथ बलात्कार के 9 प्रकरणों में 6 महिलायें विवाहित एवं 3 महिलायें अविवाहित, मानसिक प्रताड़ना के 19 प्रकरणों में 10 महिला विवाहित, 5 महिला अविवाहित एवं 4 महिला विधवा, महिलाओं के साथ 11 छेड़छाड़ के प्रकरणों में 6 महिला विवाहित, 3 महिला अविवाहित एवं 2 महिला विधवा, 34 जमीन/मकान पर कब्जा करने के प्रकरणों में 26 विवाहित, 8 अविवाहित है। अध्ययन से पता चलता है कि सर्वाधिक अत्याचार/उत्पीड़न विवाहितों के साथ हुआ इसमें महिला पुरूष सम्मिलित है। कहा जा सकता है कि विवाहित महिला, पुरूषों पर अत्याचार अधिक हुआ।

प्रकाश और अंधेरा प्रकृति की दो शाश्वत एवं नियमित प्रक्रिया है। इन दोनो प्रक्रियाओं के आधार सम्पूर्ण विश्व की समस्त जैविक और प्राकृतिक क्रियायें निरन्तर चलत रहती है। हमारे यहॉ सदैव ''तमसै मा ज्योतिर्गमय'' जिसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश। उजाले की ओर अग्रसर होने की कामना की जाती है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन ''हरिजन उत्पीड़ित के विविध स्वरूप'' (इन्दौर जिले के उतपीडितों का समाजशास्त्रीय अध्ययन) मे मध्यप्रदेश के महानगर इन्दौर जिले की तहसीले इन्दौर, महू, सॉवेर और देपालपुर के अनुसूचित जाति वर्ग के पुरूष–महिलाओं पर 2001 से 2005 तक दर्ज उत्पीड़न के कुल 742 प्रकरणों में से 200 उत्पीडित प्रकरणों में जानकारी एकत्रित कर यह पता लगाने का प्रयास किया है कि अनुसूचित जाति वर्ग पर उत्पीड़न /अत्याचार हुए इसके क्या कारण है। उत्पीड़न अत्याचार के प्रकरणों में पुलिस, प्रशासन एवं न्यायालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। उत्पीड़ितों को किस समस्या का सामना प्रकार करना पड़ा तथा प्रशासन की कल्याणकारी एवं पुनर्वास योजनाओं का उन्हें कितना लाभ मिला, लाभ प्राप्त करने में क्या कठिनाई हुई आदि का संक्षेप में अध्ययन का निष्कर्ष इस प्रकार से है।

अनुसूचित जाति वर्ग के प्रति होनेवाले अत्याचार /अत्याचार का क्षेत्र बहुत व्यापक व विस्तृत है। इसमें ऐसे सभी प्रकार दबावों को शामिल किया जा सकता है, जो उन्हें सामान्य अधिकारों से वंचित करते है। विस्तृत अर्थ में अत्याचार/उत्पीड़न से आशय उन सभी प्रकार के अन्याय, शोषण पीड़ा, बालात्कार, हत्या अपहरण व भगा ले जाना, दहेज के कारण हत्या, हत्या का मानसिक एवं शारीरिक त्रास, अपमान, लज्जाभंग शारीरिक छेड़छाड़, चिढ़ाना गाली देना, आवंटित भूमि पर कब्जा करना, सम्पत्ति एवं फसल नष्ट करना आदि से है। कोई भी ऐसा कार्य उत्पीड़न/अत्याचार है जो जानबूझकर, धमकाकर या बलपूर्वक किया गया है। या इस प्रकृति का है। जिससे किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने से जिसे वह न करना चाहता हो विवश किया जाए, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक या सम्पतिक अथवा दोनो प्रकार की हानि हो अथवा अपमानित करने से व्यक्ति को आघात पहुॅचा हो या उनका विनाश हुआ हो या उसके सम्मान को ठेस लगी हो।

यहॉ पर उत्पीड़न/अत्याचार से आशय अनुसूचित जाति वर्ग के पुरूष महिला पर उन सभी अपराधों (शारीरिक या सम्पतिक अथवा दोनों प्रकार की हानि पहुॅचाने, अपमानित करने, मानसिक पीड़ा पहुॅचाने) से है। जो जिला अनुसूचित जाति एवं जनजाति (थाना) प्रकोष्ठ में दर्ज किये है।

उत्पीड़न की प्रकृति एवं स्वरूप

उत्पीड़ित के प्रकरणों में 3.5 प्रतिशत की हत्याएँ हुई है।
उत्पीड़ित के प्रकरणों में 21.5 प्रतिशत की हत्या के प्रयास हुए।
उत्पीड़ित के प्रकरणों में 33.5 प्रतिशत की सामान्य चोटें आई।

चयनित प्रकरणों में 1.5 प्रतिशत की यहाँ आगजनी की घटना हुई।
उत्पीड़ित के प्रकरणों में 2.0 प्रतिशत की फसल नष्ट/नुकसान पहुँचाने की घटना हुई।
उत्पीड़ित के प्रकरणों में 2.0 प्रतिशत की अपहरण की घटना है।
उत्पीड़ित के प्रकरणों में 4.5 प्रतिशत महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना हुई।
उत्पीड़ित के प्रकरणों में 9.5 प्रतिशत को मानसिक त्रास उठाना पड़ा।
उत्पीड़ित के प्रकरणों में 5.5 प्रतिशत महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई।
उत्पीड़ित के प्रकरणों में 17 प्रतिशत की जमीन पर कब्जा करने की घटना हुई।
अर्थात् कहा जा सकता है कि अध्ययन हेतु चयनित वर्षो में उपरोक्त प्रकरणों में अत्याचार हुआ है।

सुझाव

पुलिस और प्रशासन तत्परता से कार्यवाही करें ताकि एक निर्धारित समय सीमा में माननीय न्यायालय द्वारा अपराधियों को दण्ड तथा उत्पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिल सके।
कानूनों को और अधिक कठोर बनाया जाना चाहिए एवं दण्ड के प्रावधानों में और अधिक कठोरता करना आवश्यक है।
ऐसे कानूनों का निर्माण करना चाहिए जिनका उद्देश्य सिर्फ उत्पीड़ितों को उनके अधिकार एवं अत्याचार/उत्पीड़न/शोषण के विरूद्ध जागरूकता का विकास करना हो।
माननीय उच्च न्यायालय के कुछ अधिकारीगण भी यह प्रयास करें के जनसाधारण को न्याय मिल सके।
न्यायालयीन कर्मचारीगण को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण देना चाहिए की वे उत्पीड़ितों की समस्या का निदान करने में सहायता प्रदान करें एवं सदैव तत्पर रहे।
जटिल न्यायालयीन प्रणाली को सूक्ष्म व सुगम एवं कम खर्च वाली प्रणाली बनाया जाना चाहिए। जिससे प्रकरणों में निर्णय हो सके।
बलात्कार व छेड़छाड़ के प्रकरणों की सुनवाई हेतु महिला न्यायाधीश, महिला अधिवक्ता, एवं महिला कर्मचारियों के समक्ष बंद कमरे मे कार्यवाही हो, जिससे उत्पीड़ित महिला निडर होकर अपना पक्ष रख सके और आरोपियों को उचित दण्ड मिल सके।
उत्पीड़ितों के साथ बलात्कार एवं छेड़छाड़ के प्रकरणों के निराकरण एवं जाँच के लिए सिर्फ महिला अधिकारी की सेवा लेनी चाहिए, जिससे उत्पीड़ित महिला निर्भिक होकर अपने साथ हुये उत्पीड़न/अत्याचार की जानकारी दे सके।
बलात्कार के प्रकरणों में आरोपियों के मृत्युदण्ड दिये जाने का प्रावधान पारित किया जाये।
अनुसूचित जाति वर्ग में नही बल्कि समाज के सवर्ण उच्च वर्गीय वर्ग में भी विद्यमान कुप्रथाएं और कुसंस्कार समाप्त करने के लिए, जहॉ एक ओर सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता है वही दूसरी ओर उत्पीड़ितों के लिए आर्थिक विकास करने का दायित्व शासन, राज्य व केन्द्र सरकार को करना चाहिए।

संदर्भ

1.आहूजा, राम एवं मुकेश (1994) ''सामाजिक समस्याये'' रावत पब्लिकेशन, जयपुर एवं नई दिल्ली।
2.आहूजा, राम एवं मुकेश (1995) ''भारतीय सामाजिक व्यवस्था'' रावत पब्लिकेशन, जयपुर एवं नई दिल्ली।
3.आहूजा, राम एवं मुकेश (1998) ''विवेचनात्मक अपराधशास्त्र'' रावत पब्लिकेशन, जयपुर एवं नई दिल्ली।
4.उमर, मोहद (1998) ''ब्राइट बर्निंग इन इण्डिया'' सोसो लिगल स्टडी ए. वी.एच. पब्लिशिंक कारपोरेशन, नई दिल्ली।
5.एन्टनी एम. जे. (1998) ''कानून सलाह'' हिन्दी पाकेट बुक्स प्रा. लि. दिल्ली।
6.खोब्रागड़े मुंशी एन.एल.(1999) ''मध्यप्रदेश दलित साहित्य अकादमी, बालाघाट
7.शाबा, ओमप्रकाश (1984) ''सामाजिक विज्ञान कोष'' बी.आर. पब्लिशिंग, नई दिल्ली।
8.गौतम, रामअवतार, कमलकांत प्रसाद (2001) ''अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत मध्यप्रदेश के दलित ''भारतीय सामाजिक संस्थान, नई दिल्ली।
9.गौतम, डॉ. राम अवतार, प्रेम कपाड़िया (2001) ''हरियाणा के दलित हरित क्रांति से भी वंचित'' भारतीय सामाजिक संस्थान, नई दिल्ली।
10.गुप्ता, दिनेशचन्द्र (1989) ''अनैतिक अपराध मल्होत्रा, पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली।
11.डॉ. बाबासाहे सम्पूर्ण वाडन्मय, खण्ड 13 डॉ आम्बेडकर संस्थान प्रतिष्ठान, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
12.डॉ. बाबासाहे सम्पूर्ण वाड़न्मय खण्ड 9 डॉ. आम्बेडकर संस्थान प्रतिष्ठान, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
13.चन्द्रा, आर कन्हैयालाल चंचरीक (2003) ''आधृनिक भारत का दलित आन्दोलन ''यूयनिर्वसिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
14.चराटे, संजय (2004) ''भारतीय दण्ड न्यायालय संग्रह'' इण्डिया लॉ हाँउस, इन्दौर
15.जोशी, ओमप्रकाश, भारतीय सामाजिक संस्थाये कॉलेज बुक डिपो, जयपुर
16.जैन, एस. के (1999) ''महिलाओं का उत्पीड़न एवं विधिक उपचार '' लॉ हाऊस, इन्दौर।
17.टेलटूम्बाड़े डॉ. आनन्द (2001) ''ग्लोबलाइजेशन एण्ड द दलित'' साकेत प्रकाशन, नागपुर
18.दतरा, छाया (1993) द स्ट्रगल अगेनस्ट वायलेन्स'' मदिरा सेन पब्लिशर्स, कलकत्ता।
19.दत्ता, बी.एन (1990) ''सकी विडो बनिंगे इन इण्डिया, मनोहर पबिलकेशन, नई दिल्ली
20.देसाई, कुमुद ''सामाजिक विघटन व सुधार'' सरस्वती सदन, मंसूरी।

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished research paper.Summary of Research Project,Theses,Books and Books Review of publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium Scientific
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database

Golden Research Thoughts
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.net